सुरक्षा की रोशनी. भविष्य की चमक.

प्रति वर्ष 6% की सुनिश्चित बढ़ोतरी के साथ जीवन बीमा सुरक्षा पाएँ, ताकि आपकी बचत लगातार बढ़ती रहे.

एलआईसी की न्यू

बीमा ज्योति

यूआईएन: 512N395V01 | प्लान नं.: 890

नॉन–पार, नॉन–लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना

मुख्य विशेषताएँ:

- सुरक्षा और दीर्घकालिक बचत
- जमा किए गए कुल वार्षिक प्रीमियम पर 6% प्रति वर्ष की गारंटीड बढ़ोतरी
- विभिन्न राइडर्स के माध्यम से बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प
- उच्च बीमाधन पर आकर्षक प्रोत्साहन का लाभ
- सीमित अवधि तक प्रीमियम भुगतान की सुविधा

ऑनलाइन भी उपलब्ध

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/R1/2026-27/13/Hin/SB

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/अपनी निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/www.licindia.in पर जाएं

क्यूआर कोड स्कैन करें और My LIC App डाउनलोड करें

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी का न्यू बीमा ज्योति
(यूआईएन:512N395V01)

(एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

एलआईसी का न्यू बीमा ज्योति एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है, जो सुरक्षा व बचत का आकर्षक संयोजन प्रदान करती है। इस योजना को विशेष रूप से आपकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त कोष बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह गारंटीकृत अभिवृद्धि के साथ एक सीमित प्रीमियम एंडोमेंट योजना है।

यह एक असहभागी उत्पाद है, जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ वास्तविक अनुभव के बजाय गारंटीकृत और निश्चित होते हैं। इसलिए यह पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी जैसे किसी भी विवेकाधीन लाभ में भागीदार नहीं है।

यह योजना लाइसेंसधारी अभिकर्ता, कॉर्पोरेट अभिकर्ता, ब्रोकर, बीमा विपणन फर्म, पॉइंट ऑफ़ सेल्स पर्सन्स–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई), कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी–एसपीवी) के माध्यम से ऑफलाइन तथा सीधे वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है।

संभावित पॉलिसीधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय उत्पाद की विशेषताओं, संबद्ध जोखिमों व हितलाभों का संदर्भ लें तथा उत्पाद/उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों में से वह चुनें, जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त हो।

1. मुख्य विशेषताएं

- यह योजना सुरक्षा व बचत दोनों प्रदान करती है।
- पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर, भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के 6% की दर से गारंटीकृत अभिवृद्धियां।
- निम्नांकित का लचीलापन –

  – आवश्यकतानुसार सुरक्षा अवधि, यानी 15 से 20 वर्ष का चुनाव।

  – परिपक्वता/मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर राइडर हितलाभ चुनकर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।

- उच्च बीमा राशि पर आकर्षक प्रोत्साहन राशि का फ़ायदा।
- ऋण सुविधा के माध्यम से नकदीकरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

2. पात्रता शर्तें व अन्य प्रतिबंध

ए)	न्यूनतम प्रवेश आयु	30 दिन (पूर्ण)
बी)	अधिकतम प्रवेश आयु	60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) (65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) जिसमें से घटाएँ पॉलिसी अवधि), पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों की स्थिति में।
सी)	न्यूनतम परिपक्वता आयु	18 वर्ष (पूर्ण)
डी)	अधिकतम परिपक्वता आयु	75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन), पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के लिए
ई)	न्यूनतम पॉलिसी अवधि	15 वर्ष
एफ)	अधिकतम पॉलिसी अवधि	20 वर्ष
जी)	प्रीमियम भुगतान अवधि	(पॉलिसी अवधि, जिसमें से घटाएँ 5) वर्ष (यानी 10 वर्ष से 15 वर्ष)
एच)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	रु. 1,25,000
आई)	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अनुमेय अधिकतम मूल बीमा राशि, बोर्ड अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अनुसार जोखिमांकन निर्णय के अधीन होगी।

<table>
<tr><td>जे)</td><td>मूल बीमा राशि के गुणज</td><td>मूल बीमा राशि नीचे निर्दिष्ट राशियों के गुणज में होगी :

<table><tr><th>मूल बीमा राशि श्रेणी</th><th>बीमा राशि गुणज</th></tr><tr><td>रु. 1,25,000 से रु. 2,75,000 तक</td><td>रु. 5,000</td></tr><tr><td>रु. 2,75,000 से अधिक</td><td>रु. 25,000</td></tr></table></td></tr>
</table>

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि :

यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम हो, तो इस योजना के अंतर्गत जोखिम, पॉलिसी प्रारंभ की तिथि से 2 वर्ष पश्चात अथवा 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ या उसके तत्काल बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से, इनमें से जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। प्रवेश पर 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्तियों के लिए जोखिम, जोखिम स्वीकृति की तिथि यानी पॉलिसी जारी होने की तिथि से तत्काल प्रारंभ होगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि :

यदि पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई हो, तो पॉलिसी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के साथ या उसके तत्काल बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर स्वतः बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी तथा ऐसे निहित होने पर वह निगम व बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध मानी जाएगी।

3. हितलाभ

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ (जहाँ सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो) निम्नानुसार होंगे :

ए. **मृत्यु हितलाभ :**

पॉलिसी अवधि के दौरान जोखिम प्रारंभ की तिथि के पश्चात, किन्तु परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, देय मृत्यु हितलाभ, चालू पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि सहित **''मृत्यु पर बीमा राशि''** होगा; जहाँ **''मृत्यु पर बीमा राशि''** को मूल बीमा राशि के 125% अथवा वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई ''कुल प्रीमियमों'' के 105% से कम नहीं होगा।

जहाँ,

i. **''वार्षिक प्रीमियम''** एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होगी।

ii. **''भुगतान की गई कुल प्रीमियम''** का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं है, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है। यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने की स्थिति में, किसी भी आगामी प्रीमियम को, जिसे माफ कर दिया जाता है, उसे प्राप्त माना जाएगा और उसे कुल भुगतान की गई प्रीमियम में शामिल किया जाएगा।

तथापि, अवयस्क बीमित व्यक्ति, जिसकी प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम हो, की जोखिम प्रारंभ की तिथि से पूर्व मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, देय मृत्यु हितलाभ, कुल भुगतान की गई प्रीमियमों (करों, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियमों व राइडर प्रीमियमों, यदि कोई हो, को छोड़कर) की बिना ब्याज के वापसी होगी।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान ऊपर निर्दिष्ट अनुसार एकमुश्त और/या किस्तों में (जैसा कि नीचे अनुच्छेद 5.3 में निर्दिष्ट है) पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार किया जाएगा।

बी. परिपक्वता हितलाभ :

बीमित व्यक्ति के निर्धारित परिपक्वता तिथि तक जीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, चालू पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि सहित **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** देय होगी। जहाँ **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** **मूल बीमा राशि** के बराबर है।

4. चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि

चालू पॉलिसी के अंतर्गत (जिसमें सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो), पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में गारंटीकृत अभिवृद्धि अर्जित होगी।

चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर, भुगतान की गई प्रीमियमों के संदर्भ में कुल वार्षिक प्रीमियम की 6% होगी।

यदि कोई पॉलिसी अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट (यानी उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन, या ऑनलाइन विक्रय) गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में किसी प्रोत्साहन राशि(यों) के लिए पात्र हो, तो उपर्युक्त गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर को

पॉलिसी के अंतर्गत लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रोत्साहन राशि(यों) द्वारा बढ़ाया जाएगा।

किसी पॉलिसी वर्ष में चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि, लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर को भुगतान की गई प्रीमियमों के संदर्भ में कुल वार्षिक प्रीमियम से गुणा करके प्राप्त की जाएगी।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष की गारंटीकृत अभिवृद्धि पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगी।

पूर्ण चुकता पॉलिसी की स्थिति में (जहाँ पॉलिसी की संपूर्ण प्रीमियम भुगतान अवधि की सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो), गारंटीकृत अभिवृद्धि प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होती रहेगी तथा वही चालू पॉलिसी के लिए लागू के समान होगी।

5. उपलब्ध विकल्प

I. वैकल्पिक राइडर :

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित पाँच वैकल्पिक राइडर (अथवा इनके संशोधित संस्करण) उपलब्ध हैं। तथापि, पॉलिसीधारक नीचे वर्णित विस्तृत पात्रता के अनुसार, एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु व दिव्यांगता हितलाभ राइडर अथवा एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर में से किसी एक का और/या शेष तीन राइडरों का विकल्प चुन सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु व दिव्यांगता हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B209V02)

इस राइडर का विकल्प चालू पॉलिसी के अंतर्गत मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय, किन्तु उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पूर्व जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन की आयु 65 वर्ष हो, चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना व राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान अथवा उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पूर्व, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन की आयु 70 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो, तक उपलब्ध होगी। यदि यह राइडर चुना गया हो, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर), मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के

भीतर) दुर्घटनावश दिव्यांगता होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में देय होगी तथा दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भावी प्रीमियम व मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि के उस भाग के भावी प्रीमियम, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर है, माफ कर दी जाएंगी। अवयस्क के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B203V03)

इस राइडर का विकल्प चालू पॉलिसी के अंतर्गत मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय, किन्तु उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पूर्व, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन की आयु 65 वर्ष हो, चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना व राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। यदि यह राइडर चुना गया हो, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर), मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। अवयस्क के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा।

सी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (यूआईएन : 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी की शुरुआत में ही उपलब्ध है। इस राइडर के तहत हितलाभ कवर पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो राइडर अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि' के बराबर राशि देय होगी।

डी) एलआईसी का प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B204V04)

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर का विकल्प पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर (चूंकि बीमित व्यक्ति अवयस्क है), पॉलिसी वर्षगाँठ के साथ मेल खाते किसी भी समय पर, किन्तु मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चुना जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी व राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पाँच वर्ष हो। इसके अतिरिक्त, यह राइडर केवल ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत स्वीकृत होगा, जिसमें इस राइडर का विकल्प चुनते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क हो। राइडर अवधि, इस राइडर का विकल्प चुनने की तिथि के अनुसार

मूल पॉलिसी की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि अथवा (25 में से घटाएँ इस राइडर का विकल्प चुनते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की आयु), इनमें से जो भी कम हो, होगी। यदि राइडर अवधि व प्रस्तावक की आयु का योग 70 वर्ष से अधिक हो, तो राइडर स्वीकृत नहीं होगा।

यदि यह राइडर चुना गया हो, तो राइडर अवधि के दौरान प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि से राइडर अवधि की समाप्ति तक मूल पॉलिसी के संदर्भ में देय प्रीमियमों का भुगतान माफ कर दिया जाएगा। तथापि, ऐसी स्थिति में, यदि मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि राइडर अवधि से अधिक हो, तो इस प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर की अवधि समाप्त होने की तिथि से मूल पॉलिसी के अंतर्गत सभी परवर्ती देय प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसी प्रीमियमों का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता हो जाएगी।

ई) एलआईसी का क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर (यूआईएन : 512B227V01) :

यह राइडर केवल पॉलिसी के प्रारंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध हैं :

विकल्प 1 : 15 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ

विकल्प 2 : असिस्टेड लिविंग बेनेफिट (एएलबी) सहित 40 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ

इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा राइडर अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। यदि यह राइडर चुना गया हो, तो इस राइडर के अंतर्गत बीमाकृत किसी एक निर्दिष्ट गंभीर बीमारी की शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन पुष्टि होने पर, क्रिटिकल इलनेस बीमा राशि देय होगी। तथापि, विकल्प 2 के अंतर्गत, यदि निर्दिष्ट 7 गंभीर बीमारियों में से किसी की पुष्टि होती है, तो असिस्टेड लिविंग बेनेफिट (एएलबी) के रूप में 36 माह के लिए क्रिटिकल इलनेस बीमा राशि का 1% मासिक भुगतान का अतिरिक्त हितलाभ देय होगा।

एलआईसी के क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर से संबंधित प्रीमियम मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियमों का योग मिलकर आधार उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगा।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संदर्भ में राइडर बीमा राशि, मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। तथापि, अन्य सभी

राइडरों में से प्रत्येक के अंतर्गत कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपर्युक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें अथवा एलआईसी की निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों की स्थिति में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए) :

निपटान विकल्प, चालू व चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के स्थान पर परिपक्वता हितलाभ को 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी गई अवधि में किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प का प्रयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान अथवा 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता आय के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा इस विकल्प के अंतर्गत चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) पूर्ण दावा आय का निश्चित मूल्य अथवा प्रतिशत, किसी भी रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए विकल्प के अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी।

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5,000/-
तिमाही	रु.15,000/-
छमाही	रु.25,000/-
वार्षिक	रु.50,000/-

अगर दावे की कुल शुद्ध राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक रूप से प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 साल की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.11% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के बदले में निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान के विकल्प का प्रयोग करना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक माह या तीन माह या छह माह या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

परिपक्वता हितलाभ के बदले में निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान प्रारंभ होने के बाद:

ए) यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के बदले निपटान विकल्प का उपयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है तथा बकाया किस्तों को एकमुश्त चाहता है, तो उसे बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, निम्नांकित में से जो भी अधिक होगा, एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- सभी भावी देय किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) **में से घटाएँ** (पहले से भुगतान की गई कुल किस्तों की राशि);

बी) भावी किस्तों के भुगतान में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल से अधिक नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा, जिसके दौरान निपटान विकल्प शुरू हुआ था।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान प्रारंभ होने वाले सभी निपटान विकल्पों के संदर्भ में, भविष्य की किस्तों को कम करने के लिए प्रयुक्त अधिकतम लागू ब्याज दर 7.11% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

सी) परिपक्वता की तिथि के बाद, निपटान विकल्प का उपयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिती को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा तथा इसमें नामिती को किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

III. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प :

यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने पर या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा कि विकल्प दिया गया है, जो भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए निम्नानुसार न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5,000/-
तिमाही	रु.15,000/-
छमाही	रु.25,000/-
वार्षिक	रु.50,000/-

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है तो दावा प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.11% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान पॉलिसीधारक अथवा वयस्क होने पर बीमित व्यक्ति, पॉलिसी की विद्यमानता के अंतर्गत अपने जीवनकाल के दौरान किस्त भुगतान की अवधि व जिस शुद्ध दावा राशि के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है, निर्दिष्ट करते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकता/सकती है। तदुपरांत मृत्यु दावा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार किया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. प्रीमियम भुगतान

प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक अंतराल (मासिक प्रीमियम केवल ई–एनएसीएच/एनएसीएच के माध्यम से) अथवा वेतन कटौती (एसएसएस) के माध्यम से किया जा सकता है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान की अनुमत विधि, नीचे वर्णित अनुसार चुनी गई मूल बीमा राशि पर निर्भर करेगा :

चयनित मूल बीमा राशि	प्रीमियम भुगतान की अनुमत विधि
रु. 1,50,000 से कम	वार्षिक व अर्धवार्षिक
रु. 1,50,000 व उससे अधिक	वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही व मासिक (केवल ई–एनएसीएच/एनएसीएच के माध्यम से) अथवा वेतन कटौती (एसएसएस) के माध्यम से

7. रियायत अवधि

वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की रियायत अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की रियायत अवधि पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम कवर के साथ चालू माना जाएगा। यदि प्रीमियम का भुगतान रियायत अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपर्युक्त छूट अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी जो मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ देय हैं।

8. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम

ऑफलाइन विक्रय के माध्यम से बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए मानक जीवन हेतु रु. 10 लाख की मूल बीमा राशि हेतु नमूने के लिए उदाहरणार्थ वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है :

(राशि रु. में)

आयु (निकटतम जन्मदिन)	पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)		
	15(10)	18(13)	20(15)
20	1,22,300	93,200	82,550
30	1,22,850	93,900	83,400
40	1,25,600	97,200	87,150
50	1,34,300	1,06,650	97,500

उपर्युक्त प्रीमियम लागू करों, यदि कोई हो, को छोड़कर हैं।

9. विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधियों के लिए प्रीमियम रूपांतरण कारक

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधियों के लिए प्रीमियम रूपांतरण कारक निम्नानुसार है :

प्रीमियम भुगतान विधि	प्रीमियम रूपांतरण कारक
वार्षिक	1.0000
अर्धवार्षिक	0.5090
त्रैमासिक	0.2568
मासिक	0.0861

वार्षिक के अतिरिक्त अन्य विधियों में देय प्रीमियम की गणना व्युत्पन्न वार्षिक प्रीमियम को लागू प्रीमियम रूपांतरण कारक से गुणा करके की जाएगी।

10. प्रोत्साहन राशियाँ

I. उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि :

उच्च मूल बीमा राशि (बीएसए) के लिए प्रोत्साहन राशि, गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में स्वीकृत की जाएगी। भुगतान की गई प्रीमियमों के संदर्भ में कुल वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि की दृष्टि से प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)	उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि (भुगतान की गई प्रीमियमों के संदर्भ में कुल वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर)			
	मूल बीमा राशि (रु.)			
	1,25,000 से 3,00,000 से कम तक	3,00,000 से 5,00,000 से कम तक	5,00,000 से 10,00,000 से कम तक	10,00,000 व उससे अधिक
10 से 14	शून्य	0.50%	0.85%	1.00%
15	शून्य	0.75%	1.10%	1.25%

II. ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि :

अभिकर्ता/मध्यस्थ की किसी भी सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण किए गए प्रस्ताव प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। प्रोत्साहन राशि गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में होगी। भुगतान की गई प्रीमियमों के संदर्भ में कुल वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि की दृष्टि से प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)	ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत प्रोत्साहन (भुगतान की गई प्रीमियमों के संदर्भ में कुल वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर)
10 से 14	1.25%
15	1.50%

11. पुनर्चलन

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन, जो भी लागू हो, अदत्त पहली प्रीमियम की तिथि से 5 लगातार पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर, किन्तु परिपक्वता तिथि से पूर्व किया जा सकता है। पुनर्चलन, सभी बकाया प्रीमियम(मों) का भुगतान, निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) सहित करने पर तथा निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार पुनर्चलन के समय पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेज़ों व रिपोर्टों के आधार पर और इस संबंध में जब जैसी आवश्यकता हो, कोई अतिरिक्त सूचना, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम

छूट हितलाभ राइडर चुना गया हो) की निरंतर बीमायोग्यता की संतुष्टि के आधार पर प्रभावी होगा।

निगम पॉलिसी को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या बंद की गई पॉलिसी के पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद की गई पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकार कर लिया हो और पुनर्चलन रसीद जारी कर दी गई हो।

इस योजना के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में 3% जोड़कर, या निगम के असंबद्ध, असहभागी फंड पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

राइडर(रों), यदि चुने गए हों, का पुनर्चलन केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचारणीय होगा, अलग से नहीं।

12. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) और सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदी गई योजना

यह योजना पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रय की जा सकती है। तथापि, ऐसी स्थितियों में पात्रता शर्तें व अन्य नियम व शर्तें, पीओएस योजनाओं व पीओएसपी–एलआई पर लागू, आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्रों व विनियमों आदि के अनुसार होंगी। वर्तमान में पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं :

- प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 65 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु) में से घटाएँ पॉलिसी अवधि
- परिपक्वता पर अधिकतम आयु : 65 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु)
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन) : रु. 25 लाख

एलआईसी की न्यू बीमा ज्योति योजना, यदि उसे पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रय किया हो, तो पीओएस–जीवन उत्पादों की असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट श्रेणी के अंतर्गत आती है। पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी चैनल (दोनों सम्मिलित) के माध्यम से असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट उत्पादों

की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को अनुमत अधिकतम मृत्यु पर बीमा राशि रु. 25 लाख होगी।

हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि निगम की जोखिमॉकन नीति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत गैर–चिकित्सा सीमाओं के अनुसार तय की जाएगी।

- पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।

- एलआईसी के न्यू बीमा ज्योति पर लागू मुख्य विशेषता दस्तावेज़ (केएफडी) सह प्रस्ताव प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा, यदि विक्रय पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी द्वारा प्रारंभ किया जाता है।

13. चुकता मूल्य

यदि इस पॉलिसी के संदर्भ में एक पूर्ण वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो तथा परवर्ती कोई भी प्रीमियम समय पर न चुकाई गई हो, तो अदत्त पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पश्चात इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात, परवर्ती कोई भी प्रीमियम समय पर न चुकाई गई हो, तो प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर यह पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक चुकता पॉलिसी के रूप में विद्यमान रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमा राशि** को घटाकर एक ऐसी राशि कर दी जाएगी, जिसे **'मृत्यु चुकता बीमा राशि'** कहा जाएगा, तथा यह मृत्यु पर बीमा राशि को पहले से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल अवधि व मूल रूप से देय प्रीमियमों की अधिकतम अवधि के अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाएगी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ, चुकता पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है) सहित मृत्यु चुकता बीमा राशि होगी। यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा।

तथापि, बीमित व्यक्ति अवयस्क होने की स्थिति में, जहाँ पॉलिसी जोखिम प्रारंभ की तिथि से पूर्व चुकता हो जाती है, ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ, कुल भुगतान की गई प्रीमियमों (करों, बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार

किसी भी अतिरिक्त राशि व राइडर प्रीमियम(मों), यदि कोई हो, को छोड़कर) की बिना ब्याज के वापसी होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमा राशि** को घटाकर एक ऐसी राशि कर दी जाएगी, जिसे **'परिपक्वता चुकता बीमा राशि'** कहा जाएगा, तथा यह परिपक्वता पर बीमा राशि को पहले से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल अवधि व मूल रूप से देय प्रीमियमों की अधिकतम अवधि के अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाएगी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय परिपक्वता हितलाभ, चुकता पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है) सहित परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि :

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि निम्नलिखित का योग होगी :

ए. उस अवधि के लिए, जिसमें पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो : पॉलिसी के अंतर्गत चालू पॉलिसी के लिए लागू दर से अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पॉलिसी से संलग्न रहेगी।

बी. उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो (जिस वर्ष पॉलिसी चुकता होती है) तथा अनुवर्ती पॉलिसी वर्षों के लिए : गारंटीकृत अभिवृद्धि निम्नानुसार होगी :

(i) उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो, गारंटीकृत अभिवृद्धि उस पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगी तथा यह चालू अवधि के लिए चालू पॉलिसी पर लागू दर से आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि व पॉलिसी की चुकता अवधि के लिए चुकता पॉलिसी पर लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) से आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि का योग होगी।

(ii) पॉलिसी अवधि के दौरान अनुवर्ती पॉलिसी वर्षों के लिए, गारंटीकृत अभिवृद्धि प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के अंत में चुकता पॉलिसी पर लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) से अर्जित होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर, चालू पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा कि अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट है) को पहले से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल अवधि व मूल रूप से देय प्रीमियमों की अधिकतम अवधि के अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाएगी।

चुकता पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि की यह लागू दर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत अपरिवर्तित रहेगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि, जो प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगी, चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है) को भुगतान की गई प्रीमियमों के संदर्भ में कुल वार्षिक प्रीमियम से गुणा करके प्राप्त की जाएगी। यह गारंटीकृत अभिवृद्धि उस अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी जब तक पॉलिसी चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहती है।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु होने के मामले में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी मृत्यु दावे में परिणत हुई, उस पॉलिसी वर्ष के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि को उस पॉलिसी वर्ष के पूर्ण माहों के अनुपात में (यानी मृत्यु की तिथि तक की अवधि के अनुपात में) आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाएगा।

इस प्रकार न्यूनकृत पॉलिसी तदुपरांत उपर्युक्त प्रीमियमों के भुगतान के सभी दायित्वों से मुक्त होगी।

राइडर(रों) कोई भी चुकता मूल्य अर्जित नहीं करेंगे तथा पॉलिसी के कालातीत होने की स्थिति में राइडर हितलाभ लागू नहीं होंगे।

14. अभ्यर्पण

प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसी धारक द्वारा एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो

चालू अथवा चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम निम्नलिखित में से जो भी अधिक होगा, उसका अभ्यर्पण मूल्य के रूप में भुगतान करेगा

(ए) गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य व किसी भी अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य; या

(बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य।

कम से कम दो लगातार वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर पॉलिसी गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य अर्जित करेगी। पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, कुल भुगतान की गई प्रीमियमों (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, चयनित राइडर प्रीमियम(मों), यदि हो, तथा स्पष्ट रूप से लिए गए करों को छोड़कर) को कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक से गुणा करके प्राप्त होगा।

कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक, पॉलिसी अवधि व जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है उस पर निर्भर करेंगे तथा ये निम्नानुसार हैं :

कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक						
	पॉलिसी अवधि →					
पॉलिसी वर्ष	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15	90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16		90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17			90.00%	90.00%	77.27%	75.00%
18				90.00%	90.00%	77.50%
19					90.00%	90.00%
20						90.00%

किसी भी अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य में जोड़ा जाएगा। जीएसवी की गणना के लिए, अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि में प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष की गारंटीकृत अभिवृद्धि तथा जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है, उस वर्ष के पूर्ण माहों के अनुपात में आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि सम्मिलित होगी। लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि अनुच्छेद 4 व अनुच्छेद 13 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

किसी भी अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य, अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि को अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू जीएसवी कारक से गुणा करके प्राप्त होगा।

अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक, पॉलिसी अवधि व जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाएगा उस पर निर्भर करेंगे तथा ये निम्नानुसार हैं :

अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक						
	पॉलिसी अवधि →					
पॉलिसी वर्ष	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
4	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
5	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
6	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
7	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
8	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
9	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
10	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
11	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
12	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
13	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%

14	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
15	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
16		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
17			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
18				35.00%	30.00%	27.06%
19					35.00%	30.00%
20						35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम प्राप्त होने के पश्चात प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर देय होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य का वार्षिक पुनरीक्षण आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर मुख्य परिपत्र, संदर्भ : IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 तथा आईआरडीएआई द्वारा इस संबंध में जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्र के अनुसार किया जाएगा।

यदि राइडर लिया गया हो तो राइडर पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और कोई और हितलाभ देय नहीं होगा।

15. पॉलिसी ऋण

पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य की सीमा के भीतर ऋण उपलब्ध होगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा :

i. पॉलिसी के तहत ऋण का लाभ पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद उठाया जा सकता है बशर्ते एक पूरे वर्ष का प्रीमियम चुकाया गया हो।

ii. पॉलिसी के तहत अधिकतम ऋण की अनुमति, अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार होगी:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	80%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	75%

iii. संपूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज दर, 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में 3% जोड़कर, या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों के लिए संपूर्ण ऋण अवधि की लागू ब्याज दर 9.50% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी ऋण के लिए लागू ऋण ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, नियत तिथियों पर ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाती है, तब निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का हकदार होगा। जब ऐसी पॉलिसियाँ बंद की जा रही हों, तो वे अभ्यर्पण मूल्य और ऋण की बकाया राशि के अंतर के साथ–साथ ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान की अधिकारी होंगी।

v. निर्गम के समय दावे की आय से कोई भी बकाया ऋण ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

16. कुछ स्थितियों में जब्ती

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरणों, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत विवरण निहित है या कोई भौतिक जानकारी रोककर रखी गई है, तो और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य होगी और किसी भी लाभ के लिए सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

17. पॉलिसी समापन

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के पहले होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि जब एकमुश्त मृत्यु हितलाभ /मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जब पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यार्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो परिपक्वता की तिथि; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) पैरा 15(iv) में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर यदि पॉलिसी, जिसने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के अंदर पुनर्चलित नहीं की गई है; या

जी) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) अनुच्छेद 16 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार जब्ती की स्थिति में

18. टैक्स (कर)

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर नियमों व समय–समय पर लागू कर की दर के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों के अनुसार प्रयोज्य करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम पर (मूल पॉलिसी व राइडर(रों), यदि कोई हो, के लिए) अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित, पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियमों के अतिरिक्त अलग से संग्रहित की जाएगी। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत आयकर लाभों/अदा किए गए प्रीमियम (मों) पर प्रभाव तथा देय हितलाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार के साथ परामर्श करें।

19. निशुल्क अवलोकन अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर निगम द्वारा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई प्रीमियम की राशि को संरक्षण की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल प्लान और राइडर(रों)के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सा परीक्षण पर हुए व्ययों (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित) और स्टांप शुल्क की कटौती करके वापस कर दिया जाएगा।

20. आत्महत्या अपवर्जन

इस दस्तावेज़ में कहीं भी उल्लेखित मृत्यु पर देय हितलाभों के प्रावधान के बावजूद, आत्महत्या के कारण मृत्यु होने की स्थिति में दावा भुगतान से संबंधित प्रावधान यहाँ नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे :

पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ की तिथि से अथवा पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से, जो भी लागू हो, 12 माह के भीतर बीमित व्यक्ति की आत्महत्या के कारण मृत्यु होने पर, नामित व्यक्ति या लाभार्थी, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% अथवा मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो।

टिप्पणी :

1) यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु / पुनर्चलन के समय आयु 8 वर्ष से कम हो।

2) यह खंड चुकता पॉलिसियों पर भी लागू होगा।

3) ऐसी पॉलिसी जो चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गई हो, उसके अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

4) उपर्युक्त प्रीमियम में कोई भी कर, जोखिमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार्य अतिरिक्त राशि व टर्म एश्योरेंस राइडर प्रीमियम के अतिरिक्त राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं होंगे।

21. प्रतीक्षा अवधि

यदि यह योजना पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रय की गई हो, तो जोखिम प्रारंभ की तिथि से प्रथम 90 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो तथा मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न हुई हो, निगम भुगतान की गई कुल प्रीमियम वापस कर देगा। तथापि, प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, ऊपर अनुच्छेद 3.ए में निर्दिष्ट मृत्यु हितलाभ देय होगा। यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम हो।

22. हितलाभ का नमूना चित्रण

संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति के विवरण	
वितरण चैनल :	**ऑफ़लाइन**
संभावित ग्राहक / पॉलिसीधारक का नाम :	
आयु :	
बीमित व्यक्ति का नाम :	
आयु :	**35**

प्रस्ताव सं. :	
पॉलिसी विवरण	
मूल बीमित राशि रु.	10,00,000
मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) रु.	12,50,000
पॉलिसी अवधि :	20
प्रीमियम भुगतान अवधि :	15
किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए)	**84,700**
प्रीमियम भुगतान विधि :	**वार्षिक**

यह हितलाभ चित्रण पॉलिसी के अंतर्गत देय वर्ष–वार प्रीमियम और हितलाभ दर्शाने के लिए है।

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	राइडर 1	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी रहित किस्त प्रीमियम	**84,700.00**		**84,700.00**
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम (प्रथम वर्ष)	**84,700.00**		**84,700.00**
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम (द्वितीय वर्ष से आगे)	**84,700.00**		**84,700.00**
टिप्पणी : जीएसटी दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में यह छूट प्राप्त है।			

(राशि रु. में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)	वार्षिक प्रीमियम[2] (संचयी)	गारंटीकृत	
		गारंटीकृत अभिवृद्धि	परिपक्वता हितलाभ
1	2	3	4
1	84,700	6,140.75	0
2	1,69,400	18,422.25	0
3	2,54,100	36,844.50	0
4	3,38,800	61,407.50	0
5	4,23,500	92,111.25	0
6	5,08,200	1,28,955.75	0
7	5,92,900	1,71,941.00	0
8	6,77,600	2,21,067.00	0
9	7,62,300	2,76,333.75	0
10	8,47,000	3,37,741.25	0
11	9,31,700	4,05,289.50	0
12	10,16,400	4,78,978.50	0
13	11,01,100	5,58,808.25	0
14	11,85,800	6,44,778.75	0
15	12,70,500	7,36,890.00	0
16	12,70,500	8,29,001.25	0
17	12,70,500	9,21,112.50	0
18	12,70,500	10,13,223.75	0
19	12,70,500	11,05,335.00	0
20	12,70,500	11,97,446.25	21,97,446

(राशि रु. में)

गारंटीकृत		अगारंटीकृत	देय अभ्यर्पण मूल्य
मृत्यु हितलाभ[3]	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)[4]	
5	6	7	8
12,56,141	0	22,671	22,671
12,68,422	50,820	54,161	54,161
12,86,845	94,911	95,306	95,306
13,11,408	1,79,581	1,46,825	1,79,581
13,42,111	2,27,437	2,09,593	2,27,437
13,78,956	2,76,770	2,84,184	2,84,184
14,21,941	3,26,677	3,71,440	3,71,440
14,71,067	3,94,780	4,71,870	4,71,870
15,26,334	4,68,591	5,85,905	5,85,905
15,87,741	5,48,359	7,13,801	7,13,801
16,55,290	6,34,404	8,55,830	8,55,830
17,28,979	7,27,118	10,11,804	10,11,804
18,08,808	8,27,085	11,81,528	11,81,528
18,94,779	9,34,851	13,63,897	13,63,897
19,86,890	10,51,392	15,58,204	15,58,204
20,79,001	11,14,933	16,69,010	16,69,010
21,71,113	11,83,614	17,87,572	17,87,572
22,63,224	12,58,816	19,14,618	19,14,618
23,55,335	14,75,051	20,51,088	20,51,088
24,47,446	15,62,556	21,97,446	21,97,446

टिप्पणी : इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके।

यह चित्रण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी की शुरुआत में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित सभी राइडरों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडर के लिए भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए कृपया विक्रय साहित्य देखें।

3. किसी भी स्थिति में किसी भी समय कुल मृत्यु हितलाभ, भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर)।

4. अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक हो, वह होता है। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ सं. : IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी आगामी परिपत्र के अनुरूप की जाएगी।

* 8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में ऊपर दर्शाई गई मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद लागू होती है।

23. शिकायत निवारण तंत्र

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति को देख सकते हैं। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@ licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

1) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर–(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

2) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

3) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

4) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद–500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान, समय–समय पर यथा संशोधित लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार है :

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

   स्पष्टीकरण । – इस उप–धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है :

ए. सुझाव, जो वास्तविक रूप में सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित है

स्पष्टीकरण ।। – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है :

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण–एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके विधिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है :

इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस अनुवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

छूट का निषेध (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या पुर्नचलन करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय–समय पर यथा संशोधित नियम लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

फर्जी फोन कॉल एवं नकली/धोखाधड़ीपूर्ण ऑफ़रों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या उसके अधिकारी बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी गतिविधि, जैसे बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियमों का निवेश, धनराशि वापस करना आदि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के सात दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा

मार्ग, मुंबई – 400021

वेबसाईट: **www.licindia.in**

पंजीकरण संख्या: 512